



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232017
CG-DL-E-20122021-232017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4926]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 4926]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5317(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य विभाग की दिनांक 15.05.2021 की अधिसूचना का.आ.1858(अ) में आंशिक संशोधन कर आईटीसी (एचएस) कोड 07133190 के तहत मूंग (एसपीपी विग्रा रेडियाटा(एल.) विल्लेक के बीन्स) के आयात के लिए 'मुक्त' आयात नीति को एतद्वारा 31.03.2021 तक विस्तारित करती है।

2. उपयुक्त वस्तु के आयात लिए लदान बिल/लॉरी रसीद 31.03.2022 को या उससे पहले जारी किया जाना चाहिए। उक्त खेप को यह देखते हुए निकासी दी जा सकती है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 30.06.2022 को या उससे पहले 'ऑउट ऑफ चार्ज' प्राधिकृत किया गया है।

अधिसूचना का प्रभाव : मूंग के लिए आयात नीति 31.03.2022 को या उससे पहले के लदान बिल/लॉरी रसीद के साथ खेप के लिए 'मुक्त' होगी। आयात की 30.06.2022 को या उससे पहले सीमा शुल्क से निकासी हो जानी चाहिए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 14/1/2021-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5317(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government in partial modification of Department of Commerce Notification S.O. 1858 (E) dated 15.05.2021 hereby extends the 'Free' import policy for Import of Moong [Beans of the SPP Vigna Radiata (L.) Wilczek] under ITC (HS) Code 0713 31 90 up to 31.03.2022.

2. For import of the above-mentioned item, the Bill of Lading/Lorry Receipt should be issued on or before 31.03.2022. The said consignments may be cleared given that the 'Out of charge' has been authorised by the Customs Authorities on or before 30.06.2022.

Effect of the Notification: Import policy for Moong shall be "Free" for consignments with Bill of Lading/Lorry Receipt dated on or before 31.03.2022. Imports should be cleared from Customs on or before 30.06.2022.

This issues with the approval of Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 14/1/2021-EP (Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.